आदेश से रीडर

पत्रावली और देवेन्द्र कुमार [illegible] दिनांक 22.5-17 को पेश

8-5-17 पत्रावली पेश फैसला आज है लिहाजा

22.5.17 जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से खारिज हो।

22/5/17

उपजिलाधिकारी

[illegible]

उनवान

1. बाबूलाल पिता शान्तिलाल महाजन, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थी

बनाम

1. प्यारगिर पिता शिवगिर गोस्वामी, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
2. किशन पिता शम्भुगिर गोस्वामी, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
3. गोविन्द पिता शम्भुगिर गोस्वामी, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
4. चेतन पिता शम्भुगिर गोस्वामी, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
5. टीना पुत्री शम्भुगिर गोस्वामी, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
6. लीला पुत्री शम्भुगिर गोस्वामी, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
7. सीता बेवा शम्भुगिर गोस्वामी, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
8. शान्ति पत्नी प्यारगिर गोस्वामी, निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तसहीलदार भीलवाडा।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत् राजस्व नक्शें में दुरस्ती कराई जाकर तरमीम कराये जाने के सम्बन्ध में

निर्णय दिनांक :– 22.05.2017

प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.03.2016 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत् राजस्व नक्शें में दुरस्ती कराई जाकर तरमीम कर भिजवाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रूपाहेली में आराजी नम्बर 2580/888 रकबा 4–06 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम पर दर्ज है। एंव आराजी नम्बर 888 रकबा 4–00 बीघा भूमि विपक्षीगण के नाम पर दर्ज है।

वर्णित आराजी नम्बर 2580/888 रकबा 4–06 बीघा भूमि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर खातेदारी अधिकार की है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग–उपभोग व काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड व मौके के अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम नहीं है। जिस की जानकारी पत्थरगढी कराने पर ज्ञात हुआ कि आराजी नम्बर 2580/888 रकबा 04–06 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड व मौके के अनुसार राजस्व नक्शे में कम तरमीम है। आराजी नम्बर 2580/888 रकबा 04–06 बीघा भूमि राजस्व नक्शें के अनुसार 03–16 बीघा ही बैठ रही है। जो कि रेकार्ड के अनुसार राजस्व नक्शे में 10 बीघा भूमि कम है। जो कि राजस्व नक्शे में विपक्षीगण की आराजी नम्बर 888 में 08 बिस्वा भूमि पश्चिम–दक्षिण दिशा की तरफ मिली हुई है। क्योंकि विपक्षीगण की आराजी नम्बर 888 राजस्व रेकार्ड अनुसार 4–00 बीघा है लेकिन राजस्व नक्शें में तरमीम अनुसार 4–08 बीघा हो रही है। जो कि 08 बिस्वा अधिक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी नम्बर 2580/888 रकबा 04–06 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में जमाबन्दी के मुकाबले में राजस्व नक्शे में 03–16 बीघा ही है। जो कि 10 बिस्वा भूमि कम तरमीम है । विपक्षीगण की आराजी नम्बर 888 रकबा 04–00 बीघा भूमि जमाबन्दी के मुकाबले राजस्व नक्शे में 04–08 बीघा है जो कि 08 बिस्वा भूमि अधिक तरमीम है को दुरूस्त कराई जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण को दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये विपक्षीगण संख्या 1 से 8 बाद तामील अनुपस्थित रहे। अतः दिनांक 17.10.2016 को एक्स पार्टी किया गया । विपक्षी संख्या 9 तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उपलब्ध देस्तावजो का मनन किया गया।

अतः प्रार्थी के आराजी नम्बर 2580/888 में जमाबन्दी व राजस्व नक्शें के मुकाबले 0–10 बीघा भूमि कम पडती है। जिसमें से 0–08 बीघा की पूर्ति आराजी नम्बर 888 से की जा सकती है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व तहसीलदार के मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थी की भूमि का हिस्सा आराजी नम्बर 888 में 08 बिस्वा भूमि अधिक तरमीम हो गई है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीलवाडा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम रूपाहेली के आराजी नम्बर 888 के रकबा में से 08 बिस्वा भूमि नक्शा तरमीम में कम कर आराजी नम्बर 2580/888 में अंकित करें। राजस्व नक्शे में उक्तानुसार तरमीम करें। तहसीलदार को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवावें।

आज यह निर्णय दिनांक 22.05.2017 को कोर्ट कैम्प रूपाहेलीकलां में सरेआम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा (राज.)